

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बदायूं।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2014

विषय - वर्ष 2013 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।
महोदय,

उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपद बदायूं में वर्ष 2013 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या- 237/1-10-2014-12(52)/13, दिनांक 04.03.2014 द्वारा जिला स्तरीय आपदा राहत समिति से अनुमोदित लोक निर्माण विभाग के 25 कार्यों की मरम्मत हेतु ₹0 7,26,06,000/- के सापेक्ष 25 प्रतिशत की धनराशि ₹0 1,81,51,500/- प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी थी। इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-45(1)/तीन-संग्रह(आपदा), दिनांक 17.05.2014 में किए गए अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए प्रा0ख0 लोक निर्माण विभाग, बदायूं के 12 कार्यों की मरम्मत हेतु सम्पूर्ण आगणन की 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 1,77,12,000/- (कुल रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख बारह हजार मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निवेदन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन (लाख ₹0 में)	आवंटित धनराशि (लाख ₹0 में)
1	वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत ग्याऊँ सैजनी मार्ग से लभारी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य	35.12	17.56
2	वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत हजरतपुर से भाऊनगला मार्ग की मरम्मत का कार्य	39.48	19.73
3	वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत गढिया रगीन से लालपुर खादर मार्ग की मरम्मत का कार्य	12.04	6.02
4	वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत लालपुर खादर से हरामपुर मार्ग की मरम्मत का कार्य	31.90	15.95

5	वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत लालपुर खादा हलामपुर से शरणपुर मार्ग की मरम्मत का कार्य	5.49	1.745
6	वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत कछला ननाखंड भुंड भदरौल मार्ग की मरम्मत का कार्य	39.90	19.95
7	वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत एसहेत सरैली कंगल नगला बाबा बहटी भकरा मार्ग की मरम्मत का कार्य	34.81	17.405
8	वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत असमाया रफतपुर मार्ग की मरम्मत का कार्य	49.97	24.985
9	वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत बिसौली आसफपुर मार्ग से गारहा मार्ग की मरम्मत का कार्य	28.42	14.21
10	वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत नरऊखुर्द समरक मार्ग किमी0-1 व 2 की मरम्मत का कार्य	18.35	9.175
11	वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत कादरगोवा से सिरसा दबई मार्ग के किमी0-5 व 6 की मरम्मत का कार्य	23.25	11.625
12	वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के अन्तर्गत इकलहरा पथरामई मार्ग से जसतनगला बाबा प्रेमी नगला मार्ग के किमी0-1, 2, 3 में मरम्मत का कार्य	37.53	18.765
योग		354.24	177.12

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत आयोजनेन्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के ताले डाला जायेगा।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षों के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमां/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणत की जांच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह सन्तुष्ट मानकी का पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-श10-10-33(171)/2012, दिनांक 23-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्ताव कार्य में किसी अन्य विभाग से धनराशि

प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्रायकलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पतियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रन्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या 32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइस में निर्धारित एवं अहं मानक मर्दों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मर्दों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पतियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मंदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत.यूपी0.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में

शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,



(किशन सिंह अदोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।



संख्या-494 (1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- आयुक्त, घरेली मण्डल, घरेली।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 7- उप निदेशक, (सामान्य) एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत, यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बदायूं।
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(मदन मोहन)

अनु सचिव।

